भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2273
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

प्रौद्योगिकी और मामले के बैकलॉग

2273. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फरवरी 2025 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद से उच्च न्यायालयों में 'एक-समान मामला वर्गीकरण' लागू करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) दिसंबर 2024 तक लंबित कुल 4.5 करोड़ मामलों में से कितने लंबित मामले राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड और ई-कोर्ट जैसे तकनीकी साधनों के माध्यम से सुलझाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय में मामला वर्गीकरण कार्यान्वित किया गया है ।01 फरवरी, 2025 को आयोजित राज्य न्यायपालिका के सामने आने वाले मुद्दों पर ध्यान देने हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, यह सुझाव दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय की मामला वर्गीकरण सलाहकार समिति द्वारा तैयार किए गए मॉडल को उच्च न्यायालयों द्वारा दोहराया जा सकता है ।तथापि, उच्च न्यायालयों द्वारा मामला वर्गीकरण के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं रखी जाती है ।

(ख) : न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की उपलब्धता और भौतिक अवसंरचना, अंतर्ग्रस्त तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति और हितधारकों अर्थात बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादकारियों का सहयोग सम्मिलित है ।अन्य पहलों के साथ-साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आरंभ, लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना सुकर बनाता है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमता और मशीन लर्निंग आधारित उपकरणों के उपयोग सहित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप दक्षता और न्याय तक पहुंच बढ़ी है ।अब तक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा के माध्यम से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2.73 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई की गई है ।

हितधारकों को नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 1773 ई-सेवा केन्द्र (सुविधा केन्द्र) कार्यरत हैं। जिला न्यायालयों में 30.06.2025 तक लगभग 308 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। ई-फाइलिंग नियम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर देश भर के सभी जिला न्यायालयों में आरंभ किए गए हैं। देश भर के वकीलों/वादकारियों के पास कई भाषाओं में मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि से संबंधित जानकारी तक ऑनलाइन पहुंच है। वकीलों/वादकारियों के लिए ई-कोर्ट मोबाइल ऐप और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप को क्रमशः 3.16 करोड़ और 21716 से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। देश भर के न्यायालयों के मामलों, निर्णयों/आदेशों आदि के बारे में जानकारी राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर ऑनलाइन उपलब्ध है। एनजेडीजी पोर्टल पर लंबित मामलों का आयु-वार विवरण और उनका वर्गीकरण देरी के कारणों का विश्लेषण करने में मदद करता है। एनजेडीजी अपने समय पर इनपुट के माध्यम से नीतिगत निर्णयों, न्यायालय के प्रदर्शन की निगरानी, प्रणालीगत बाधाओं की पहचान और प्रभावी संसाधन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है।

****